Govt. M.M.R. P.G.College Champa (C.G.)

प्रपत्र क्र० - (01)

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यु पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471] भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 1996—आश्विन 8, शक 1918

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 1996

क्र. एफ-73-6-96-सी-3-36—शासकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन में जन भागीदारी की दृष्टि से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:—

(क) शासकीय महाविद्यालयों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उनका स्थानीय प्रबंधन एक समिति को सौंपा जाएगा. यह समिति "मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973" के अन्तर्गत पंजीकृत की जाएगी.

(ख) इस समिति को यह अधिकार होगा कि यह महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिये स्थानीय नागरिकों से स्वैच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करे, विभिन्न गतिविधियों पर फीस लगाए या बढ़ाए और कन्सलटेंसी आदि के धन एकत्रित करे. इन संसाधनों का उपयोग यह समिति महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के लिये कर सकेगी. समिति जन सहयोग के जरिये महाविद्यालय में अच्छा शैक्षणिक वातावरण बनाने में सहायक होगी. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिये गये हैं, उनकी प्रबंध समिति को अकादमिक मामलों में भी स्वायत्तता होगी, अर्थात् ऐसी समितियां स्थानीय स्तर पर प्रवेश नियम बनायेंगी, पाठ्यक्रमों का निर्धारण करेंगी, अध्ययन-अध्यापन परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की नई पद्धतियों का विकास करेंगी.

(ग) समिति के कार्य कलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जायेगा. यह समिति की सर्वोच्च सभा होगी. इस सभा का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा. राज्य शासन संबंधित नगर निकाय, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्य, विधायक अथवा सांसद में से किसी को अध्यक्ष नियुक्त

Attested

प्राचार्य
शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चाम्पा (छ. ग.)

State Govrnment Gazette for the Formation of Janbhagidari Samiti

करेगा. सामान्य परिषद् का उपाध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनका प्रतिनिधि होगा. सामान्य परिषद् में विधायक, सांसद अथवा उनके नामजद प्रतिनिधि सदस्य होंगे.

इस परिषद् में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, अभिभावक, पूर्व विद्यार्थियों, स्थानीय संस्थाओं, दान-दाताओं, कृपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं पोषक शालाओं आदि के प्रतिनिधि सदस्य होंगे. सामान्य परिषद् में अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि होंगे.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आये हों, परिषद् का सदस्य नामांकित किया जायेगा.

परिषद् में एक महिला अभिभावक को सदस्य नामांकित किया जायेगा यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो.

दानदाताओं के प्रतिनिधि का नामांकन निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर दानदाताओं में से किया जायेगा.—

1. दस हजार से कम आबादी वाले क्षेत्रों द्वारा दस हजार रुपये से अधिक दान देने वालों में से.
2. दस हजार से पचास हजार तक की आबादी वाले स्थान में रुपये पच्चीस हजार से अधिक दान देने वालों में से.
3. पचास हजार से एक लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों में, रुपये पचास हजार से अधिक दान देने वालों में से.
4. एक लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक दान देने वालों में से. सामान्य परिषद् में नामजद किये जाने वाले प्रतिनिधि, अध्यक्ष द्वारा नामजद किये जाएं. महाविद्यालय के प्राचार्य इस समिति के सदस्य सचिव होंगे.

साधारणतः सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार होगी. आवश्यकतानुसार परिषद् की विशेष बैठक [illegible] सकेगी. परिषद् नीति-निर्धारण के साथ ही महाविद्यालय की गतिविधियों की सामान्य रूप से देखरेख करेगी. परिषद् व कार्य-कलापों की प्रक्रिया विस्तृत रूप से निर्धारित कर दी गई है ताकि परिषद् के संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो.

(घ) सामान्य परिषद् के अतिरिक्त, समिति के कार्य कलापों के समुचित प्रबंधन के लिये प्रबंध समिति एवं वित्त समिति भी होगी.

(ङ) प्रबंध समिति सभी प्रबंध संबंधी मामलों के लिये जिम्मेदार होगी तथा यह सामान्य परिषद् के कार्य सम्पादन में भी सहायक होगी. सामान्य परिषद् का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा. संभागीय मुख्यालय में स्थित महाविद्यालयों में जिलाध्यक्ष एवं अन्य महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा आयुक्त द्वारा मनोनीत शिक्षा शास्त्री उपाध्यक्ष होंगे. महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य सचिव होंगे. लोक निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यपालन के प्रमुख, महाविद्यालय के दो शिक्षक, विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि, दानदाताओं, एक अशासकीय संगठन तथा स्थानीय औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे. प्रबंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी.

(च) वित्त समिति के अध्यक्ष प्राचार्य होंगे. बैकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी व्यक्ति, महाविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक, संबंधित कोषालय अधिकारी या इनके द्वारा मनोनीत उप कोषालय अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे. वित्त समिति महाविद्यालय में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के कार्य में सहायता करेगी.

(छ) समिति द्वारा स्थानीय रूप से एकत्रित किये गये वित्तीय संसाधनों को किसी अनुसूचित [illegible] के रूप में रखा जायेगा. इस निधि का [illegible]

State Govrnment Gazette for the Formation of Janbhagidari Samiti

महाविद्यालय की अधोसंरचना के विकास के लिये किया जायेगा. संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अंकेक्षणों द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा. महाविद्यालय को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुसार होगी.

समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा. सोशल, गेदरिंग, मिलन, स्वागत, विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियों के लिये नहीं किया जाएगा. इसके लिए नियम बनाये जायेंगे.

समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी. ये सभी अतिरिक्त आय समिति की निधि में सम्मिलित की जायेगी.

(ज) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिये गये हैं उनमें अकादमिक परिषद् और अध्ययन मण्डल भी होंगे. अकादमिक परिषद् एवं अध्ययन मण्डल महाविद्यालय के अकादमिक कार्य कलापों में स्वायत्तता एवं समुचित प्रबंध को सुनिश्चित करेंगे. इनकी सदस्यता शिक्षा शास्त्रियों एवं विशेषज्ञों तक ही सीमित रहेगी.

(झ) समिति अपने कार्य के लिये कोई स्टाफ नियुक्त नहीं करेगी. महाविद्यालय के किसी एक कर्मचारी को ही समिति की राशि में से मानदेय देकर अपना कार्य संचालन करेगी.

(त) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियां राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के विद्यमान स्टाफ में से वर्तमान नियमों के अनुसार की जावेगी. भविष्य में ये अधिकार उन समितियों को दिये जायेंगे, जिनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय होंगी, परन्तु शासन की अनुमति के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा.

(थ) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अतिरिक्त यदि शासन चाहेगा तो समिति की जांच करा सकेगा व ऐसा निर्देश दे सकेगा जैसा शासन उपयुक्त समझता हो.

(द) यह व्यवस्था प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में लागू की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. अग्रवाल, अवर सचिव

Attest

प्राचार्य
एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चाम्पा (छ. ग.)

State Govrnment Gazette for the Formation of Janbhagidari Samiti

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय चांपा

जिला – जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

स्वीकृत, कार्यरत्, रिक्त पदों की जानकारी

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत् पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	प्राचार्य	1	1	0	—
2	प्राध्यापक अर्थशास्त्र	1	0	1	—
3	प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र	1	0	1	—
4	प्राध्यापक वाणिज्य	1	0	1	—
5	प्राध्यापक रसायन	1	0	1	—
6	प्राध्यापक गणित	1	0	1	—
7	प्राध्यापक समाजशास्त्र	1	0	1	—
8	सहा0 प्राध्यापक भौतिकी	1	1	0	—
9	सहा0 प्राध्यापक वनस्पति	2	1	1	—
10	सहा0 प्राध्यापक प्राणीशास्त्र	2	2	0	—
11	सहा0 प्राध्यापक रसायन	1	1	0	पदोन्नत प्राध्यापक कार्यरत्
12	सहा0 प्राध्यापक गणित	1	1	0	—
13	सहा0 प्राध्यापक हिन्दी	2	2	0	—
14	सहा0 प्राध्यापक समाजशास्त्र	1	1	0	पदोन्नत प्राध्यापक कार्यरत्
15	सहा0 प्राध्यापक अंग्रेजी	1	1	0	—
16	सहा0 प्राध्यापक अर्थशास्त्र	2	2	0	—
17	सहा0 प्राध्यापक इतिहास	1	1	0	—
18	सहा0 प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र	2	1	1	—
19	सहा0 प्राध्यापक वाणिज्य	2	2	0	—
20	सहा0 प्राध्यापक टसर टेक्नालाजी	1	0	1	—
21	क्रीड़ाधिकारी	1	1	0	—
22	ग्रंथपाल	1	1	0	—
	योग	28	19	9	—

PRINCIPAL
Govt. M.M.R. P.G. College
CHAMPA (C.G.)

D:\Rikt Pado ki jankari (ALL).xlsx

Approved setup of class-I ,II,III,IV Posts for the College

अ. क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	4	5
45	संजीव कुमार लकड़ा "आशियाना" महुआपारा फुदुनडिहरी, अंबिकापुर जिला–सरगुजा, छत्तीसगढ़ पिन कोड–497001	शासकीय राजीवगांधी स्नातको. महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा	अनु.जनजाति
46	निरेश कुमार कुर्रे ग्राम पोतिया, पो–बिजेतला तह–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव छत्तीसगढ़ पिन कोड– 491444	शासकीय एल. सी.एस. महाविद्यालय, अंबागढ़ चौकी जिला–राजनांदगांव	अनु.जाति
47	अगस्टीन कुजूर द्वारा श्री आर.पी.कुजूर, सहायक प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय, इं.गां.कृ.वि.वि., कृषक नगर, रायपुर (छ.ग.) पिन कोड–492006	शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय, रामानुजगंज जिला–बलरामपुर	अनु.जनजाति
48	भारती मंडावी बी–8, वीणा विहार, दावड़ा कालोनी, पचपेड़ी नाका, रायपुर जिला–रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड– 492001	संत गुरू घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरूद, जिला–धमतरी।	अनु.जनजाति महिला
49	जुवेल केरकेट्टा द्वारा श्रीमती मेरी टोप्पो, मं.नं– 4/72, ओम नगर, जतिया तालाब रोड़, जरहाभाटा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड– 495001	शासकीय महाविद्यालय सनावल, जिला–बलरामपुर	अनु.जनजाति
50	कु.मंजरी सिंह क्वा.नं. 8/सी, सडक न. A.V.D., सेक्टर–6, भिलाई नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ पिन कोड– 490006	शासकीय स्व. देवीप्रसाद चौबे महाविद्यालय, साजा, जिला–बेमेतरा	अनु.जनजाति महिला

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। जिसका शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण–पत्र वापस कर दिये जायेंगे।

12/11/18

क्रमशः...7

Appointment Service rules for Assistant Professor

5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी, तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही, भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियों अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे–मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत पहचान प्रमाण पत्र) आदि मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 के अध्याधीन रहेंगे।
9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।
12. इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस0के0चौधरी)
उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Appointment Service rules for Assistant Professor

//8//

पृ. क्रमांक 3968 /3218/2012/38–1 नया रायपुर, दिनांक /2 /11/2012

प्रतिलिपि :–

(1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
(3) मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
(4) विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
(5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
(6) कलेक्टर, जिला–.................................... (छ.ग.)।

की ओर कृपया सूचनार्थ अग्रेषित।

(7) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके **पत्र क्रमांक 2063/95/2010/02/चयन, दिनांक 30.08.2012** के संदर्भ में सूचनार्थ।
(8) आयुक्त, उच्च शिक्षा, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर छ.ग.।
(9) संचालक ,जनसम्पर्क, रायपुर छ0ग0 की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
(10) अपर संचालक, उच्च शिक्षा, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर छ.ग.।
(11) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(12) संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय...की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका–2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।
(13) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला–..
(14) संबंधित डॉ (श्रीमती) तन्वीन आरा खान

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(15) आदेश फोल्डर।

[signature] 12/11/12

उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Appointment Service rules for Assistant Professor

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चाम्पा
जिला :– जांजगीर–चांपा (छ.ग.)
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद "नैक" बैंगलोर द्वारा द्वितीय चक्र–2016 मूल्यांकित "बी" ग्रेड संस्थान
ई–मेल : gpgc_cph@yahoo.com महाविद्यालय कोड – 3005 वेबसाईट – gmmrcg.in

क्रमांक 311 /स्था /2021, चाम्पा, दिनांक 28.07.21

–: प्रमाण पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रकाश पाठक, पिता श्री राजेश पाठक को स्ववित्तीय योजनान्तर्गत द्वारा संचालित विषय कम्प्यूटर विज्ञान में 2020–21 में जनभागीदारी व्याख्याता के रूप में अध्यापन कार्य किये जाने के एवज में राशि रू. 76400.00 (रू. छिहत्तर हजार चार सौ मात्र) मानदेय भुगतान किया गया।

प्राचार्य
शास. एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय चाम्पा
जिला जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)
PRINCIPAL
Govt. Post Graduate College
CHAMPA (C. G.)

Certificate regarding Janbhagidari Samiti Appointment

D:\Office files\paman patra.doc